भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 26***
वाणिज्य विभाग

दिनांक 4 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फलों और सब्जियों का निर्यात

***26. श्री अ. मनि:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और ये उपाय निर्यात बढ़ाने में कितने सफल रहे हैं;

(ख) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जो फलों और सब्जियों के निर्यात में योगदान दे रहे हैं तथा इन राज्यों से किन-किन प्रमुख किस्मों का निर्यात किया जाता हैं;

(ग) फलों और सब्जियों के निर्यातकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात सुधार के लिए सरकार इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए खोजे गए नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन बाजारों तक पहुंच में प्रमुख बाधाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार उनका समाधान कर रही है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"फलों और सब्जियों के निर्यात" के संबंध में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *26 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से सम्पूर्ण देश से एपीडा के अपने सदस्य निर्यातकों को, 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत फलों और सब्जियों सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. अवसंरचना विकास योजना- पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल प्रणाली, इरैडीऐशन, वाष्प हीट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट जैसी शिपमेंट पूर्व ट्रीटमेंट सुविधाएं और सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, रीफर वैन की स्थापना और निजी निर्यातकों की मौजूदा अवसंरचना में कमी को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता।

ii. गुणवत्ता विकास योजना – प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, ट्रेसिबिलिटी के लिए खेत स्तर के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस और जल, मिट्टी के परीक्षण, अवशेषों और कीटनाशकों आदि के लिए वित्तीय सहायता।

iii. बाजार संवर्धन योजना- इस सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों को विकसित करना और मौजूदा पैकेजिंग मानकों को उन्नत करना शामिल है।

वित्तीय सहायता संबंधी दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in पर “योजना” टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के बीच फलों और सब्जियों के निर्यात की मात्रा में 47.3% की वृद्धि हुई है। इसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया हैं।

सरकार, भारत से फलों और सब्जियों के कुल निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। राज्यों के निर्यात के आंकड़े शिपिंग बिलों में निर्यातकों द्वारा बताए गए स्टेट-ऑफ-ओरिजिन कोड के आधार पर संकलित किए जाते हैं। अतः फलों और सब्जियों के निर्यात का राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे डीजीसीआई एवं एस द्वारा विधिमान्य नहीं किया गया है। हालांकि, फलों और सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक हैं। निर्यात का डेटा (किस्म-वार) केवल आम और प्याज के लिए उपलब्ध है, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): फलों और सब्जियों के निर्यातकों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ उच्च लॉजिस्टिक लागत, अपर्याप्त अवसंरचना, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएँ, बागवानी उत्पाद निर्यात के लिए परिवहन, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में अंतराल, आयातक देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और वैश्विक अनिश्चितताएँ हैं।

सरकार ने इन चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत हैं:

- वाणिज्य विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एवं एफडब्ल्यू) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि फलों और सब्जियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास में अंतराल को दूर किया जा सके।
- सरकार चिन्हित उत्पादों के लिए नए संभावित बाजारों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है और बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, संभावित ताजे फलों और सब्जियों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित किए जा रहे हैं ताकि प्रतिस्पर्धी दरों पर दूरस्थ बाजारों में इनका निर्यात किया जा सके।
- गैर-टैरिफ संबंधी बाधाओं और आयात प्रतिबंधों का संबंधित व्यापारिक साझेदार देश के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से समाधान किया जाता है और जहाँ भी संभव हो, अनसुलझे मुद्दों को डब्ल्यूटीओ में भी उठाया जाता है।

(ङ.): वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत के ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात 123 देशों तक पहुँच गया। पिछले 3 वर्षों में, भारतीय ताजा उत्पाद 17 नए बाजारों में पहुँच चुके हैं, जिनमें से कुछ ब्राजील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक गणराज्य, युगांडा, घाना आदि हैं। यह कई उपायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, बाजार पहुंच वार्ता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि से प्राप्त किया गया है ।

वाणिज्य विभाग बाजार पहुंच वार्ता के लिए कृषि उत्पादों को प्राथमिकता देने में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि नए बाजारों तक पहुंचा जा सके। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित वस्तुओं में नए बाजार तक पहुंच हासिल की है:

- सर्बिया में भारतीय आलू और प्याज
- कनाडा में बेबी कॉर्न और ताजा केला
- ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सर्बिया और न्यूजीलैंड में अनार के बीज
- इरैडीऐशन ट्रीटमेंट द्वारा ऑस्ट्रेलिया में साबुत अनार

(च): नए बाजारों तक पहुंचने में बाधाएं उत्पाद दर उत्पाद अलग-अलग होती हैं और प्रकृति में गत्यात्मक होती हैं। फलों और सब्जियों के लिए नए बाजारों तक पहुंचने में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं:

- भारत से लंबी भौगोलिक दूरी जो लॉजिस्टिक्स की लागत को बढ़ाती है।
- आयातक देशों द्वारा कुछ उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने में विलंब।
- कुछ आयातक देशों द्वारा सख्त फाइटो-सैनिटरी जरूरतें लागू की गई हैं।
- कुछ देशों में उद्यमों के पंजीकरण में विलंब।

उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए, वाणिज्य विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं:

- हमारे उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और एपीडा ने बाजार पहुंच वार्ता को तेज करने के लिए प्रमुख उत्पादों और प्रमुख देशों की पहचान की है।
- लॉजिस्टिक्स व्यय को कम करने और निर्यात की बड़ी मात्रा को सक्षम बनाने के लिए बागवानी उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास करना।
- सुविधाओं के पंजीकरण और बाजार पहुंच वार्ताओं के लिए विदेशों में हमारे मिशनों की सहायता से आयातक देशों के समकक्ष प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- सख्त फाइटो-सैनिटरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, ट्रेसिबिलिटी प्रणाली और किसान और सुविधा पंजीकरण प्रणाली की स्थापना ।

****

अनुलग्नक I

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *26 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों में फलों और सब्जियों का निर्यात डेटा										
देश: सभी										
उत्पाद: ताजे फल और सब्जियाँ										
	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में					मात्रा हजार मीट्रिक टन में				
उत्पाद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ताजे फल और सब्जियाँ	1,282.43	1,342.13	1,527.63	1,635.95	1,814.58	2,659.48	3,148.08	3,376.25	4,335.68	3,911.95
स्रोत: डीजीसीआईएस										

पिछले पांच वर्षों में मात्रा के संदर्भ में वृद्धि =**47.30%**

पिछले पांच वर्षों में मूल्य के संदर्भ में वृद्धि = **41.50%**

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *26 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत द्वारा विश्व में आम और प्याज का निर्यात (किस्म के अनुसार)											
उत्पाद	किस्म	मिलियन अमरीकी डॉलर					मात्रा मीट्रिक टन में				
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आम	अन्य आम	0.00	25.42	23.48	33.26	36.18	0.00	15795.09	17448.90	17257.28	23786.16
	केसर	0.00	2.92	6.91	4.97	11.25	0.00	983.73	2319.08	1749.97	3787.01
	अल्फोंसो (हापुस)	0.00	6.08	10.09	7.84	8.68	0.00	3195.86	5994.86	2829.76	2673.39
	बंगनपल्ली	0.00	1.46	3.01	2.00	3.20	0.00	830.55	1674.04	856.91	1081.68
	चौसा	0.00	0.05	0.05	0.03	0.24	0.00	40.98	25.64	19.72	488.26
	लंगडा	0.00	0.08	0.16	0.12	0.19	0.00	48.99	122.16	70.02	81.94
	दशहरी	0.00	0.09	0.11	0.06	0.17	0.00	49.50	75.92	34.70	75.54
	तोतापुरी	0.00	0.07	0.17	0.20	0.16	0.00	47.47	151.01	116.60	91.95
	मल्लिका	0.00	0.03	0.09	0.06	0.07	0.00	41.40	61.16	28.81	38.17
	आम, ताजे/सूखे	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	49658.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आम	**56.11**	**36.20**	**44.07**	**48.54**	**60.14**	**49658.68**	**21033.57**	**27872.77**	**22963.77**	**32104.10**
प्याज	अन्य प्याज़ ताज़ा या ठंडा	0.00	0.00	0.00	0.00	434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1606683.97
	लाल प्याज़ ताज़ा या ठंडा	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	110755.38
	प्याज़, ताज़ा/ठंडा	324.20	378.49	460.56	561.38	0.00	1149896.84	1578016.57	1537496.85	2525258.35	0.00
	कुल प्याज़	**324.20**	**378.49**	**460.56**	**561.38**	**473.72**	**1149896.84**	**1578016.57**	**1537496.85**	**2525258.35**	**1717439.35**
	स्रोतः डीजीसीआईएस										
	नोटः- वस्तु के (*) चिह्न के साथ आईटीसी एचएस कोड या तो हटा दिया गया है या पुनः आवंटित किया गया है										